

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हमीरपुर।
उपस्थित- कु० अफशाँ (एच०जे०एस०) आई०डी०सं०-UP6164



UPHM010014792026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-695/2026

निकेश कुमार यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव उम्र 27 वर्ष निवासी मु० पठानपुरा कस्बा व
थाना राठ, जिला हमीरपुर (उ०प्र०)।आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....अभियोगी।

मु०अ०सं०-226/2024

धारा-319(2), 318(4), 338,

336(3), 340(2) बी०एन०एस०

थाना-जरिया, जिला- हमीरपुर

01.06.2026

1. अभियुक्त **निकेश कुमार यादव** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०-226/2024 धारा-319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी० एन० एस० थाना-जरिया, जिला- हमीरपुर प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

3. संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन मामला इस प्रकार है कि वादी रामहेत पुत्र वृषभान सिंह के द्वारा थाने में तहरीर देकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि वह ग्राम-अमूँद थाना-जरिया, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर का मूल निवासी है। उसके नाम मौजा कुआ खेड़ा के गाटा सं०-256/2 रकवा-2.458 हे का संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। दिनांक 11.07.2024 को उसके ही नाम रामहेत पुत्र वृषभान उर्फ ब्रगभान कौम लोधी निवासी पथखुरी हाल मुहाल-पठानपुरा, कस्बा राठ, तहसील राठ का फर्जी आधार कोड के आधार से उसके नाम मौजा कुआ खेड़ा की गाटा सं०-256/2 रकवा-2.458 हे० का 1/3 भाग का बैनामा द्वितीय पक्ष श्रीमती सीता देवी पत्नी रामप्रसाद कौम गुप्ता निवासी मु० खुशीपुरा, कस्बा राठ, तहसील राठ, जिला-हमीरपुर मो०-73551XXXX को फर्जी बैनामा कर दिया है तथा गवाह एक निकेश यादव पुत्र श्री शिवप्रसाद यादव निवासी मु० पठानपुरा, कस्बा राठ, मो०-88876XXXX व दूसरा गवाह कौशलेन्द्र पुत्र श्रीचन्द्र निवासी मु० मझखोर, कस्बा सरीला, जिला हमीरपुर मो०-97949XXXX व लिखाडी लखन सिंह राजपूत, एडवोकेट व साजिशकर्ता ईश्वरदास पुत्र प्रागीलाल निवासी अमूँद के द्वारा यह

फर्जी बैनामा किया गया है जिससे उसको सख्त नुकसान व हकतल्फी है। जबकि विक्रेता का सही नाम रामहेत पुत्र खेमचन्द्र जाति लोधी निवासी ग्राम-अमूँद है और वर्तमान में अमूँद में ही निवास करता है और इसने जालसाजी से व फर्जी तरीके से उसके नाम की जमीन का बैनामा करवाया है जो 420 की श्रेणी में आता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गयी। उक्त के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी तथा विवेचना की साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र तैयार किया जा चुका है।

3. अभियुक्त/आवेदक की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया कि वह पूर्णतया निर्दोष है। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक झूठे व भ्रामक तथ्यों पर आधारित है। आवेदक पढ़ा लिखा स्नातक पास व्यक्ति है तथा जेल जाने से उसका भविष्य खराब हो जायेगा। उसकी छवि धूमिल करने के लिये उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है तथा उसे गलत अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक द्वारा कोई छल कपट नहीं किया गया है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार किये और न ही किसी को अनुचित हानि या लाभ पहुँचाया है। उक्त मामले में बैनामा कैंश्लेशन का भी मुकदमा दायर किया गया है। उसके सहअभियुक्त सीता देवी की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अग्रिम जमानत की शर्तों का पालन करेगा और विचारण में सहयोग करेगा। उक्त आधार पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रि०) द्वारा अभियुक्त की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जैसा कि वर्तमान मामले में वादी मुकदमा के नाम से राजस्व अभिलेखों में भूमि गाटा सं०-256/2 रकवा 2.458 हे० के 1/3 भाग का बैनामा मुख्य अभियुक्त रामहेत पुत्र खेमचन्द्र द्वारा वादी मुकदमा रामहेत पुत्र वृषभान का नाम समान होने के कारण उसका लाभ उठाकर मिथ्या आधार कार्ड कूटरचित कर वादी मुकदमा की भूमि का बैनामा अभियुक्ता सीता देवी के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिसमें आवेदक/अभियुक्त एक गवाह है। विवादित बैनामा पर अंकित अभियुक्त रामहेत पुत्र खेमचन्द्र के नाम से हस्ताक्षर का मिलान वादी के हस्ताक्षर से कराये जाने पर प्रश्नगत बैनामे पर वादी मुकदमा का हस्ताक्षर होना नहीं पाया गया है तथा बैनामे पर लगा फोटो भी वादी मुकदमा का न होने की पुष्टि हुई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि पूर्व में आवेदक/अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक क्रि०मिस०रिट पिटीशन सं०-17017/2024 दाखिल की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त को आरोप पत्र दाखिल होने अथवा अग्रिम नियत तिथि जो भी पहले हो, तक गिरफ्तारी पर आदेश दिनांक 27.09.2024 से स्थगन दिया गया था। वर्तमान प्रकरण में आरोप पत्र दिनांक 07.07.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत होकर उसका प्रसंज्ञान लिया जा चुका है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिका को आदेश दिनांक 25.09.2025 के

माध्यम से पोषणीय न होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। संबंधित पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त को आरोप पत्र प्राप्त होने के उपरान्त सम्मन जारी किये गये, सम्मन तामीला होने के उपरान्त भी आवेदक/अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के कारण दिनांक 18.02.2026 को उसके विरुद्ध जमानतीय वारण्ट जारी किये जाने के आदेश संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये। तत्पश्चात् आदेश दिनांकित 27.04.2026 के द्वारा यह पाते हुए कि अभियुक्तगण को मामले की सम्पूर्ण जानकारी है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध गैरजमानतीय वारण्ट जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया तथा वर्तमान में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध गैरजमानतीय वारण्ट जारी है। अतः पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत होने की जानकारी होने के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति नहीं करायी गयी और न ही कोई पैरवी की गयी है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. क्रिम० सं०-7940/2023 श्रीकान्त उपाध्याय बनाम बिहार राज्य निर्णीत दिनांक 24.03.2024 में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेशों की लगातार अवहेलना की गयी है तथा उनका पालन नहीं किया गया है तथा वह परीक्षण न्यायालय के समक्ष जमानतीय वारण्ट जारी होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसके द्वारा किसी जमानत हेतु आवेदन किया गया, जबकि उसे प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी तथा गैरजमानतीय वारण्ट जारी होने के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। तब ऐसी परिस्थितियों में वह अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त द्वारा जानकारी के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने तथा न्यायालय के आदेशों के पालन न किये जाने के कारण वह अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **निकेश कुमार यादव** की ओर से मु०अ०सं०-226/2024 धारा-319(2), 318(4), 338,336(3),340(2) बी०एन०एस० थाना-जरिया, जिला- हमीरपुर में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-695/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांक-01.06.2026

(कु० अफशाँ)
अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
हमीरपुर ।
(आई.डी. UP6164)